

कार्यालय आदेश

विषय: परिषद में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित सहायकों को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) पर नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनकी पदोन्नति उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थान पर	नई पोस्टिंग जगह	टिप्पणी
1.	श्री किशोर कुमार शर्मा (एससी)	एनआईआरबीआई, कोलकाता	एनआईआरबीआई, कोलकाता	एससी रिक्ति बैकलॉग के विरुद्ध पदोन्नति
2.	श्री. बृजेन्द्र सिंह (एससी)(पीडब्ल्यूबीडीओएच)	एनआईसीएच एवं डीआर, नई दिल्ली	एनआईसीएच एवं डीआर, नई दिल्ली	एससी रिक्ति बैकलॉग के विरुद्ध पदोन्नति

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पदोन्नत पद को ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दें तथा कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तथा यह पदोन्नति आदेश आगे कोई अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. परिषद के नियमों के अनुसार वे भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की सिफारिशों के अनुसार नियत किया जाएगा।

5. उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।

6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. वे परिषद के अधीन सेवा की सामान्य शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे तथा परिषद के अधीन अपनी पिछली सेवा के सभी लाभ उन्हें मिलते रहेंगे।

(रीमा शर्मा)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

समस्त संबंधित अधिकारी (02)

प्रतिलिपि:-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. संबंधित संस्थानों/क्रेन्द्रों के निदेशक - इस अनुरोध के साथ कि पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने कार्यभार संभालने/पदोन्नति से इनकार करने, यदि कोई हो, को ईमेल के माध्यम से स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को तुरंत admin1.hq@icmr.gov.in पर भेजा जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(वित्त)
4. संपर्क अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय।
5. सतर्कता/लेखा -I/VI अनुभाग/कानूनी प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय।
7. सहायक निदेशक, (राजभाषा) परिषद मुख्यालय।
8. बजट/गार्ड फ़ाइल।